फॉर्म नं. 5
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ
600/1, यूनिवर्सिटी रोड, निकट हनुमान सेतु मंदिर, लखनऊ–226007
(न्यायक्षेत्र : उत्तर प्रदेश का भाग)

जबाव दर्ज करने और हाजिरी हेतु प्रकाशन द्वारा समन

ओ.ए. नं. 782/2024 दिनांक: 25.10.2024

(ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 12 और 13 के साथ पठित बैंक और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(3) के तहत प्रतिवादियों को समन)

ओ.ए. सं. 2024 की 782

ऐक्सिस बैंक .... आवेदक

बनाम

मैसर्स किमाया एग्रो फार्म्स और अन्य .... प्रतिवादी

प्रति,

1. मैसर्स किमाया एग्रो फार्म्स (एक भागीदार कंपनी) निवासी मकान नंबर 18, [illegible]–II, [illegible] विहार, सेक्टर 82, महर्षि नगर, [illegible], गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)–201301

2. संदीप चौधरी पुत्र श्री [illegible] सिंह, निवासी मकान नंबर 18, [illegible]–II, [illegible] विहार, सेक्टर 82, महर्षि नगर, [illegible], गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)–201301

3. अशोक शर्मा पुत्र श्री [illegible], निवासी मकान नंबर [illegible]–5048, [illegible] नगर, [illegible]–250004

4. मैसर्स [illegible] प्रोसेसर्स [illegible] बी–112बी, सेक्टर 44, मेट्रो पिलर 68 के पास, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)–201301 [illegible] गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)–201301 [illegible]

5. मैसर्स [illegible] एग्रो प्रोसेसर्स (एक भागीदार कंपनी) [illegible] बी–112बी, सेक्टर 44, मेट्रो पिलर 68 के पास, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)–201301 [illegible] अशोक शर्मा निवासी मकान नंबर [illegible]–5048, [illegible] नगर, [illegible]–250004, (2) [illegible] कुमार पुत्र श्री [illegible] सिंह निवासी बी–112बी, सेक्टर 44, मेट्रो पिलर 68 के पास, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)–201301

.... प्रतिवादी

उपर्युक्त नामित आवेदन में आपको समन प्रकाशन के बाद आवेदक या उसके वकील/प्रतिकृत एजेंट को प्रति देते हुए [illegible] 08.01.2025 को समय पूर्वा. 10.30 बजे न्यायाधिकरण के समक्ष हाजिर होना है, अन्यथा आपकी गैर–हाजिरी में आवेदन की सुनवाई की जाएगी और निर्णय किया जायेगा।

रजिस्ट्रार

सील ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ

आईटीएल फिनलीज ऐंड सिक्योरिटीज लिमिटेड
सीआईएन : एल65910डीएल1991पीएलसी045090
पंजी. कार्यालय : बी–08, जीडी–आईटीएल टावर, टॉप फ्लोर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली–110034
ई–मेल : csitlfinlease@gmail.com, वेबसाइट : www.itlfinlease.in, फोन नंबर – 011-45872881

30 सितम्बर 2024 को समाप्त तिमाही/अर्द्ध वर्ष हेतु अ–लेखापरीक्षित पृथक्कृत वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण (रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त		अर्द्ध वर्ष समाप्त		वर्ष समाप्त
		30.09.2024 अ–लेखापरीक्षित	30.09.2023 अ–लेखापरीक्षित	30.09.2024 अ–लेखापरीक्षित	30.09.2023 अ–लेखापरीक्षित	31.03.2024 लेखापरीक्षित
1	परिचालन से कुल आय	6.66	24.02	17.93	47.12	102.79
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	-16.97	-11.72	-26.87	-8.65	-4.89
3	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर से पहले (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	-16.97	-11.72	-26.87	-8.65	41.16
4	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	-16.98	-12.09	-26.90	-9.82	26.07
5	अवधि हेतु कुल समावेशी आय (जिसमें अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित हैं.	-16.98	-12.09	-26.90	-9.82	26.06
6	इक्विटी शेयर पूंजी	473.53	473.53	473.53	473.53	473.53
7	संचय (पुनर्मूल्यन संचय छोड़कर, जैसाकि पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है)					476.61
8	प्रति शेयर अर्जन (रु. 10/– प्रत्येक का) (जारी और बंद प्रचालनों हेतु) –					
	(ए) मूल	-0.35	-0.26	-0.56	-0.21	0.55
	(बी) तनुकृत	-0.35	-0.26	-0.56	-0.21	0.55

नोट्स :

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज्स एमएसईआई में प्रस्तुत किए गए 30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु पृथक्कृत अ–लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश रूप है। 30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु अ–लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट नामतः www.msei.in पर और कम्पनी की वेबसाइट www.itlfinlease.in पर उपलब्ध है।
2. 30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु उपरोक्त अ–लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम लेखापरीक्षा समिति द्वारा पुनरीक्षित किए गए हैं और निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 08–11–2024 को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में अनुमोदित किए गए हैं।

कृते एवं हिते निदेशक मंडल
आईटीएल फिनलीज ऐंड सिक्योरिटीज लिमिटेड
हस्ता./–
दीपक गुप्ता
(निदेशक)
डीआईएन : 00143001

स्थान : दिल्ली
तिथि : 08–11–2024

पंजीकृत कार्यालय: 410-412, 18/12, चौथी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए., आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005,
कॉरपोरेट कार्यालय: 716-717, सातवीं मंजिल, टावर बी, वर्ल्ड ट्रेड टॉवर, सेक्टर 16, नोएडा, 201301, उ.प्र., दूरभाष: +91 120 4290650/52/53/54/55, ईमेल: info@cslfinance.in, Legal@cslfinance.in, वेब: www.cslfinance.in, CIN:L74899DL1992PLC051462

CSL Finance Limted

मांग सूचना

चूंकि, नीचे उल्लेखित कर्जदार/गारंटीदाता (ओं)/गिरवीदाता (ओं) ने सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड **(सीएसएल)** से वित्तीय सहायता की सुविधाएं हासिल की हैं। हम यह उल्लेख करते हैं कि वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के बावजूद कर्जदार/गारंटीदाता (ओं)/गिरवीदाता (ओं) (सभी के पृथक रूप से अथवा सामूहिक रूप से "बाध्यताधारी" कहा गया है) ने नियत तिथियों के अनुसार ब्याज तथा मूल धन की राशि चुकता करने में कई बार विफल हो चुके हैं। सीएसएल की बहियों में यहां नीचे उल्लेखित संबंधित तिथियों को खाते को अनर्जक सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है, इसके परिणाम स्वरूप, सीएसएल के अधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन यहां नीचे उल्लेखित तारीखों को मांग सूचना जारी की गई थी, जिसमें बाध्यताधारी तथा/अथवा उनके वैध उत्तराधिकारी (यों)/वैध प्रतिनिधि (यों) को सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित रकम के साथ सूचनाओं में उल्लेखित रकम पर अनुबंधकीय दर पर आगे के ब्याज की रकम तथा आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि की रकम चुकता करने को कहा गया है।

एतद्द्वारा बाध्यताकारियों को इस संबंध में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

क्र. सं.	बाध्यताधारी/वैध उत्तराधिकारियों/वैध प्रतिनिधियों के नाम	कुल बकाया रकम	कार्यक्रम
1.	एलएएन: **SMEMDN010005847** **कर्जदार/जमानत प्रदाता:** श्री वीर सिंह भारती **सह-कर्जदारगण:** श्रीमती कविता भारती एवं क्षितीज भारती **सभी का पता:** 183, गली नं. 2, सुभाष नगर, मेरठ सिटी, उत्तर प्रदेश-250002	दिनांक **05-11-2024** को **रु. 29,48,211/-** (रुपये उनतीस लाख अड़तालीस हजार दो सौ ग्यारह मात्र) साथ में आगे का ब्याज, जुर्माना ब्याज, लागत एवं शुल्क की रकम	**ऋण अनुबंध की तारीख:** 31-10-2023 **एनपीए की तारीख:** 04-11-2024 **मांग सूचना की तारीख:** 06-11-2024
	प्रत्याभूत सम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों/गिरवी पर रखी गई सम्पत्तियों का विवरण: सुभाष नगर, मेरठ सिटी, नगर निगम, पुराना मकान 126 तथा नया मकान नं. 183, खसरा नं. 5045, परगना-मेरठ, तहसील एवं जिला मेरठ, उप्र में स्थित भूमि पर 191.38 वर्ग यार्ड यानी 160.02 मीटर परिमाप क्षेत्रफल की निर्मित सम्पूर्ण सम्पत्ति साथ में कथित भूमि के प्लॉट पर 100% अविभाजित, अविभाज्य एवं अखंड स्वामित्व अधिकार/हिस्सा साथ में फिक्स्चर, फीटिंगों इलेक्ट्रिकल एवं सैनिटरी फीटिंगों तथा आवश्यक सुविधाओं के साथ उसके साथ जो कुछ भी संलग्न है का सभी अधिकार, मोमाधिकार, सुविधाएं, अनुलग्नक। **अचल सम्पत्ति की चौहद्दी एवं परिमाप निम्नानुसार:- स्वत्वाधिकार दस्तावेज के अनुसार:** उत्तर-12 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण-4 फीट चौड़ी सड़क, पूर्व-श्रीमती कुंती देवी का मकान, पश्चिम-श्री मंगल सिंह भारद्वाज का मकान। **वास्तविक/तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार:** उत्तर-15 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण-12 फीट चौड़ी सड़क, पूर्व-मकान नं. 184 (अरिहंत), पश्चिम-मकान नं. 182 (सुनील)।		
2.	एलएएन: **SMENOIDA010005752** **कर्जदार/जमानत प्रदाता:** श्री पंकज कुमार शर्मा **सह-कर्जदारगण:** श्रीमती विभा शर्मा, विशाल कुमार शर्मा एवं पुष्पा देवी **सभी का पता:** सी-26, मेजर भोला राम एनक्लेव, पोचनपुर ग्राम, साऊथ वेस्ट दिल्ली, 110077 एवं सुल्तानपुर सेक्टर-128, सुल्तानपुर, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201304 गाजियाबाद	दिनांक **06-11-2024** को **रु. 27,59,615/-** (रुपये सत्ताईस लाख उनसठ हजार छह सौ पंद्रह मात्र) साथ में आगे का ब्याज, जुर्माना ब्याज, लागत एवं शुल्क की रकम	**ऋण अनुबंध की तारीख:** 31-10-2023 **एनपीए की तारीख:** 04-11-2024 **मांग सूचना की तारीख:** 06-11-2024
	प्रत्याभूत सम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों/गिरवी पर रखी गई सम्पत्तियों का विवरण: ग्राम सुल्तानपुर, परगना एवं तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित खसरा नं. 509 में शामिल 66 वर्ग यार्ड यानी 55.18 वर्ग मीटर परिमाप का रिहायसी मकान। **अचल सम्पति की चौहद्दी एवं परिमाप निम्नानुसार:- स्वत्वाधिकार दस्तावेज के अनुसार:** उत्तर-सुरता का प्लॉट, दक्षिण-15 फीट चौड़ी सड़क, पूर्व-15 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम-जगवीर का प्लॉट। **वास्तविक/तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार:** उत्तर-अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण-15 फीट चौड़ी सड़क, पूर्व-15 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम-अन्य सम्पत्ति।		

ऊपर उल्लेखित परिस्थितियों के तहत, एतद्द्वारा बाध्यताकारी तथा/अथवा उनके वैध उत्तराधिकारियों/वैध प्रतिनिधियों को सूचना दी जाती है कि कथित बाध्यताकारी अगर सीएसएल को भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीएसएल कथित अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू नियमों के अंतर्गत ऊपरोक्त प्रत्याभूत सम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही आरम्भ करेगी, जो सम्पूर्ण रूप से कथित बाध्यताकारी तथा/अथवा उनके वैध उत्तराधिकारियों/वैध प्रतिनिधियों की जोखिम लागत तथा परिणामों पर होगा।

कथित अधिनियम के अधीन कथित बाध्यताकारी तथा/अथवा उनके वैध उत्तराधिकारियों/वैध प्रतिनिधियों द्वारा सीएसएल की पूर्व लिखित अनुमति के बगैर बिक्री, पट्टा अथवा अन्य किसी भी रूप में ऊपर उल्लेखित प्रत्याभूत सम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों के हस्तांतरण पर निषेध है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अधीन गठित नियमों का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन करने में सहयोग करता है, तो वे अधिनियम के अधीन प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार जेल जाने तथा/अथवा दंड भरने के लिए जिम्मेदार होंगे।

तारीख: 08.11.2024 हस्ता/- अधिकृत अधिकारी
स्थान: उत्तर प्रदेश सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड

---

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट-IV-ए – ई-नीलामी-अचल सम्पत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय : [illegible], नई दिल्ली-110001 [illegible] वेबसाइट : www.pnbhousing.com

शाखा पता : नोएडा : भूतल, सी2, सेक्टर 3, नोएडा, उ.प्र. 201301

एतद्द्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कॉलम ए में अंकित कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कॉलम डी में नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति(यों), जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा (जैसा कॉलम सी में वर्णित है) मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, निम्नलिखित विवरणों के अनुसार उसकी बिक्री "जहाँ है जैसे है, जो है यही है और जो कुछ भी है वही है" आधार पर की जाएगी।

एतद्द्वारा [illegible] प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9 के तहत कॉलम ए में अंकित कर्जदार(रों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों), संबंधित कर्जदारों/बंधककर्ता(ओं) (मृतक) के [illegible], जैसा मामला हो, को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट www.pnbhousing.com देखें।

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)
NHL/NOI/1216/336296 [illegible]	रु. 1,22[illegible] 24-10-24	भौतिक कब्जा	[illegible] 201301	रु. 1,71,1,000	रु. 171,100	09-12-24	रु. 10,000	26-11-2024, पूर्वा. 10.00 बजे पूर्वा. – 5:00 बजे अप.	10-12-2024, 02:00 बजे अप.– 05:00 बजे अप.	निल

[illegible] अधिकृत प्राधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान में कॉलम सं. [illegible] में प्रदर्शित को छोड़कर उपर्युक्त अचल/प्रतिभूत आस्तियों के सन्दर्भ में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं। [illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के सन्दर्भ में [illegible] बिक्री मूल्य का 25% [illegible]
4. मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के संचालन में अधिकृत अधिकारी की सहायता करेगा, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा 122003 वेबसाइट – **www.bankeauctions.com** में है। [illegible] टोल फ्री नंबर: 1800120 8800, ई-मेल: **auction@pnbhousing.com**, [illegible] **www.pnbhousing.com** का संदर्भ लें।

स्थान : नोएडा, तिथि : 04.11.2024 ह./- अधिकृत प्राधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

प्रपत्र सं. आईएनसी–25ए
पब्लिक कम्पनी को प्राइवेट कम्पनी में परिवर्तित करने के संबंध में समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक,
कार्पोरेट मंत्रालय,
उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के विषय में

तथा

मैसर्स आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेसवे लिमिटेड के विषय में, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी–376, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, निर्माण विहार, नई दिल्ली–110092 में स्थित है

........आवेदक

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी इसको प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित करने के लिए 05 नवम्बर, 2024 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में कम्पनी को ऐसे परिवर्तन हेतु सक्षम बनाने के संबंध में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के साथ पठित तदधीन विरचित नियमों के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने की इच्छुक है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन/कम्पनी की हैसियत से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुपुर्द कर सकता है अथवा करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को इसके नीचे वर्णित पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए :

आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेसवे लिमिटेड
बी–376, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, निर्माण विहार, नई दिल्ली–110092

कृते एवं हिते आवेदक
आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेसवे लिमिटेड
हस्ता./–
हिमांशु लूथरा
निदेशक
डीआईएन : 09783238
यूनिट नंबर 1901, 19वां तल
टावर बी, वर्ल्ड ट्रेड टावर
प्लॉट नंबर सी–1, सेक्टर–16
नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश

तिथि : 08 नवम्बर, 2024
स्थान : नई दिल्ली

पंजीकृत कार्यालय : 410–412, 18/12, चौथी तल, डब्ल्यू.ई.ए., आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005,
निगमित कार्यालय : 716–717, 7वीं तल, टॉवर बी, वर्ल्ड ट्रेड टॉवर, सेक्टर 16, नोएडा, 201301, उत्तर प्रदेश, दूरभाष : 91 120 4290650/52/53/54/55 ईमेल : info@cslfinance.in, Legal@cslfinance.in, वेबसाइट : www.cslfinance.in, सीआईएन : L74899DL1992PLC051462

CSL Finance Limted

अचल संपत्ति की अधिग्रहण सूचना
[(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड** (यहाँ इसमें इसके उपरांत कंपनी के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, यहां इसमें निम्न वर्णितानुसार ऋणकर्ता / सह–ऋणकर्ता / गारंटर को एक मॉग सूचना निर्गत की थी, जिसमें उन्हें सूचना में अंकित राशि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

ऋणकर्ता / सह–ऋणकर्ता / गारंटरगण निर्धारित मॉगकृत बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता / सह–ऋणकर्ता / गारंटरों को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने कम्पनी की ओर से यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8(1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता(ओं) / सह–ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि निम्न वर्णित संपत्ति का लेन–देन न करें तथा उक्त संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, यहाँ इसमें निम्न अंकितानुसार एक राशि एवं इस राशि पर नियत भावी ब्याज हेतु, कंपनी के प्रभार प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता / सह–ऋणकर्ता / गारंटर का नाम / ऋण सं.	माँग सूचना दिनाँक तथा राशि (रु. में)	अधिग्रहण की तिथि
एलएएन SMEDELLAPSL 0000005 001256 & SMEDELLAPSL0000005001257 ऋणकर्ता लिजा क्लोदिंग एंड अपैरल प्राइवेट लिमिटेड सह–ऋणकर्ता खुशबुना खुशबुना, मोह. शरीर, सीमा रानी यादव और आशुतोष यादव (सह–ऋणकर्ता /सुरक्षा प्रदाता) सभी का पता : प्लॉट नंबर ए127, खसरा नंबर 372 एम, अंबेडकर सिटी पार्ट–1, परगना और तह. दादरी, जी बी नगर, ग्रेटर नोएडा, भारत, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 201301 और एन–802, अजनारा होम्स, 121 सेक्टर, 121, नोएडा, नोएडा, अजनारा होम्स, भारत, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर, 201301	माँग सूचना दिनांक 10.08.2024 और ₹ 13,01,101/– (रुपये तेरह लाख एक हजार एक सौ एक मात्र) और ₹ 2,96,060/– (रुपये दो लाख छियानवे हजार एक सौ [illegible] मात्र) 09–08– 2024 के अनुसार साथ ही भविष्य का ब्याज, दण्डिक ब्याज, लागतें और शुल्क	05.11.2024

प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण : प्लॉट संख्या ए–127 के समस्त वह भाग, जिनका क्षेत्रफल 150 वर्ग गज है, जो खसरा संख्या 372एम में ग्रा. हैबतपुर, परगना और तहसील, दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है।
अचल संपत्ति की सीमाएं और आयाम निम्नानुसार हैं :
स्वामित्व प्रलेखों के अनुसार : पूर्व– 30 फीट रोड, पश्चिम– प्लॉट, उत्तर– प्लॉट, दक्षिण– प्लाट

दिनाँक : 08–11–2024 हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान : नोएडा (उत्तर प्रदेश) सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड

एसपीएल इंडस्ट्रीज लि.
पंजीकृत कार्यालय: 202, दूसरा तल, विक्रमादित्य टॉवर, अलकनंदा, कालकाजी, नई दिल्ली–110019
ईमेल: cs@spllimited.com I CIN : L74899DL1991PLC062744

प्रबंधक सूचीयन विभाग, एनएसई/बीएसई

30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

(₹ लाखों में)

विवरण	30.09.2024 को समाप्त तिमाही	30.09.2023 को समाप्त तिमाही	30.06.2024 को समाप्त तिमाही	30.09.2024 को समाप्त छमाही	30.09.2023 को समाप्त छमाही	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	4,298.33	4,467.93	4,559.56	8,857.89	10,471.79	21,094.08
साधारण गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों और कर से पूर्व)	401.52	315.52	376.22	777.74	778.86	1,609.39
कर पूर्व साधारण गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	401.52	315.52	376.22	777.74	778.86	1,608.75
कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	396.75	230.96	258.37	655.12	564.50	1,175.11
कुल व्यापक आय (कर पश्चात लाभ/(हानि) और कर के बाद अन्य व्यापक आय शामिल)	396.75	230.96	258.37	655.12	564.50	1,171.92
इक्विटी शेयर पूंजी	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
आरक्षित निधि (पूर्व वर्ष के तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)						
प्रति शेयर अर्जन (असाधारण मदों और कर से पूर्व) (रु. 10/– प्रत्येक के) मूल	1.38	1.09	1.30	2.68	2.69	5.55
तरल	1.38	1.09	1.30	2.68	2.69	5.55
प्रति शेयर अर्जन (असाधारण मदों और कर के बाद) (रु. 10/– प्रत्येक के) मूल	1.37	0.80	0.89	2.26	1.95	4.04
तरल	1.37	0.80	0.89	2.26	1.95	4.04

नोट :

1. उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 08 नवंबर, 2024 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किए गए हैं। 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही/छमाही के लिए परिणामों का सांविधिक लेखापरीक्षकों ने लेखापरीक्षण किया है।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत यथानिर्धारित कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 (इंड एएस) और लागू सीमा तक मान्य लेखाकरण कार्यप्रणाली और सिद्धांतों के अनुपालन में विवरण तैयार किए गए हैं। कंपनी ने इंड–एएस 01 अप्रैल, 2017 से अपनाया।
3. निदेशक मंडल की बैठक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 08 नवंबर, 2024 को आयोजित हुई और उपर्युक्त परिणाम अनुमोदित किए गए।
4. इंड एएस 108 "परिचालन खंड" के अनुसार कंपनी ने एकल वित्तीय परिणामों के भाग के रूप में केवल खंड सूचना प्रकट की है।
5. 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी कंपनी ने इंड–एएस 115– ग्राहकों से अनुबंधों से राजस्व को अपनाया। इंड–एएस 115 अपनाने का प्रभाव वित्तीय परिणामों पर नगण्य है।
6. 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी कंपनी ने इंड–एएस 116– लीज अपनाया। इंड–एएस 116 अपनाने का प्रभाव वित्तीय परिणामों पर नगण्य है।
7. 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही/छमाही के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
8. पूर्व वर्ष/अवधियों के आंकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हुआ पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

हस्ता./–
मुकेश कुमार अग्रवाल
(प्रबंध निदेशक)

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक: 08 नवंबर, 2024

Form No. 14 [See Regulation 33(2)]
[By Regd. A/D, Dasti failing which by Publication

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER-I/II
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR
First Floor, Sudharma-II, LalKothis Shopping
Center, Tonk Road, Jaipur-302015

DEMAND NOTICE

NOTICE UNDER SECTIONS 25 TO 28 OF THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993 AND RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961

R.C. No. 479/2022 Next Date 21.11.2024

STATE BANK OF INDIA Versus JITENDRA SINGH

To

DEMAND NOTICE

(CD 1) JITENDRA SINGH S/O SHRI MANDAN SINGH
R/O- 265, ARYA NAGAR, NEAR MATA JI KA MANDIR) MURLIPURA, JAIPUR (RAJ.)
(CD 2) SMT. JYOTI KANWAR W/O SHRI JITENDRA SINGH
R/O- 265, ARYA NAGAR, NEAR MATA JI KA MANDIR) MURLIPURA, JAIPUR (RAJ.)
Also at- 85, Parth City, Machwa, Kalwar Road, Jhotwara, Jaipur, Rajasthan

This is to notify that as per the Recovery Certificate issued in pursuance of orders passed by the Presiding Officer, DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR in OA/22/2020 an amount of Rs. 74,01,567/- (Rs. SEVENTY FOUR LAKH ONE THOUSAND FIVE HUNDRED SIXTY SEVEN ONLY) and interest thereon as per Recovery Certificate is due against you.

1. You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of the receipts of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 and Rules there under.

2. You are hereby ordered to appear before the undersigned on 21.11.2024 at 10.30 am. for further proceedings.

3.In addition to the sum aforesaid, you will also be liable to pay:

A) Such interests as is payable for the period commencing immediately after this notice of the certificate/execution proceedings.

B) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and warrants and other processes and all other proceedings taken for recovering the amount due.

DETAILS OF AMOUNT MENTIONED IN THE RECOVERY CERIFICATE DUE AGAINST YOU

1. Recover Certificate Amount	Rs. 74,01,567/-
2. Cost of Suit	Rs. 72,466/-
3. Interest from 24.12.2019 to 03.09.2024 @10% P.A.	Rs. 34,54,064/-
4. Amount recovered after RC issued	Rs. 49,30,000/-
5. Total Cost	Rs. 59,98,097/-

NOTE: Subject to payment/receipt, if any, made during pendency of OA or Recovery, if any, made by way of auction under SARFAESI

Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date 03.10.2024

Recovery Officer-I
Debt Recovery Tribunal Jaipur

Seal

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कानूनी मुकदमा शीर्षक **"अरविंदर सिंह वोहरा व अन्य बनाम कृष रियलटेक प्रा. लि. व अन्य" आवासीय प्लॉट कॉलोनी "ब्रह्मा सिटी" के रूप में ज्ञात, सेक्टर 60, 61, 62, 63 व 65, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित मे म्यूनिसिपल नं. ए–038 के रूप में पहचानित संपत्ति के संबंधित सीआईएस नं. सीएस–2023 का 3388, सीएनआर नं. के तहत माननीय जिला व सत्र कोर्ट, गुरुग्राम में अभी लंबित है।**

हम, श्री अरविंदर सिंह वोहरा, स्वर्गीय श्री चरण सिंह और श्रीमती रणविंदर कौर, श्री अरविंदर सिंह वोहरा की पत्नी, निवासी मकान नं. 69, रोड नं. 07, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली–110026 इस संपत्ति के उचित आवंटी हैं। हमने कब्जे, स्थायी आदेश, घोषणा और विवादित बिक्री डीड दिनांक 07.04.2021 को रद्द करने के सहित बिक्री (प्लॉट विक्रेता के अनुबंध दिनांक 20.06.2017) के लिए एक अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए यह मुकदमा दायर किया है।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि उक्त संपत्ति के संबंध में चालित मुकदमे के कारण, खरीद, लीज, हस्तांतरण या कोई लेन–देन करने का प्रयास कानूनी प्रभाव के जोखिम का विषय है। हम औपचारिक रूप से विवादित संपत्ति के संबंध में किसी बिक्री डीड, हस्तांतरण डीड, लीज डीड, जनरल पावर ऑफ एटॉर्नी (जीपीए) या किसी समान दस्तावेज के रजिस्टर करने से बाधित करने के लिए उप–रजिस्ट्रार, सब तहसील बादशाहपुर, सेक्टर 68 गुरुग्राम के कार्यालय से अनुरोध किया है जब तक मामला न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय नहीं दिया जाता है।

किसी व्यक्ति या इकाई द्वारा इस सूचना का विरोध उसके स्वयं के जोखिम व व्यय पर होगा।

जारीकर्ता : श्री अरविंदर सिंह वोहरा और श्रीमती रणविंदर कौर
पता : मकान नं. 69, रोड नं. 07, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली– 110026

Form No. 3
[See Regulation-15 (1)(a)] / 16(3)]
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JAIPUR
First Floor, Sudharma-II, Lal Kothis Shopping Center, Tonk Road, Jaipur-302015
Case No.: OA/779/2024

Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993. Exh. No.: 13761

STATE BANK OF INDIA
VS
GAJJU

To,
(1) GAJJU
D/W/S/O- GOVINDA
R/O WARD NO. 10, BANATHALA, DANTARAMGARH, SIKAR, RAJASTHAN-33260

SUMMONS

WHEREAS, **OA/779/2024** was listed before Hon'ble Presiding **Officer/Registrar** on **19.10.2024**

WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of **Rs. 2865792/-** (application along with copies of documents etc. annexed). In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under :- **(i)** to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted. **(ii)** to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application. **(iii)** You are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties. **(iv)** You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and / or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal. **(v)** You shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before **Registrar on 30.01.2025 at 10:30 AM** failing which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of this **Tribunal on this date 21.10.2024**

Assistant Registrar
Debts Recovery Tribunal, Jaipur

Seal

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India

Stressed Assets Recovery Branch, 3rd Floor, Matrix Mall, Sector-4, Jawahar Nagar, Jaipur (Rajasthan)-302004
Email:- sbi.18184@sbi.co.in, Branch Code-18184
Tel:- 0141-2657811, 2657921,2657926,265989

परिशिष्ट–IV {नियम 8(1)} कब्जे संबंधी सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

अधोहस्ताक्षरी, प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम 2002(2002 का 54)) के अधीन और धारा 13(12) सह पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के (नियम 3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ऋणी मैसर्स आर.एस. शर्मा कार्प्स, वार्ड नं. 23, आर.एस. शर्मा पेट्रोल पंप, बाणा मोड़ चौमू, जयपुर और श्री [illegible] शर्मा पुत्र श्री [illegible] प्रसाद शर्मा (साझेदार) श्री [illegible] शर्मा पुत्र श्री [illegible] प्रसाद शर्मा, (साझेदार एवं जमानतकर्ता) और श्री शीतल शर्मा पुत्र श्री [illegible] शर्मा, (पार्टनर और जमानतकर्ता) को सूचना में उल्लेखित राशि रू. 51,82,227.00 ([illegible]) दिनांक30.08.2024 को बकाया तथा [illegible] सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए बुलाते हुए एक मांग पत्र सूचना दिनांक 31.08.2024 को जारी किया गया था।

ऋणी/जमानती द्वारा यह राशि न चुका पाने के कारण ऋणी/जमानती एवं आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमावली के नियम 8 प्रतिभूति हित प्रवर्तन कानून 2002 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 06 नवम्बर 2024 को यहाँ नीचे दिए गए विवरण वाली संपत्ति का कब्जा/प्रभावित लिया गया है।

ऋणी व जमानती को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य रूप से सचेत किया जाता है कि वे इस संपत्ति में कोई लेनदेन न करें और इस संपत्ति में किसी भी प्रकार का लेनदेन भारतीय स्टेट बैंक के प्रभार की राशि रू. 54,56,234/- ([illegible])दिनांक05.11.2024 को बकाया तथा उस पर भविष्य के ब्याज व खर्चों के अधीनहोगा।

उधारकर्ता/जमानती का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

1. साम्यिक बंधक सम्पत्ति श्री [illegible] शर्मा पुत्र श्री [illegible] प्रसाद शर्मा के नाम एक दुकान नं. जी-20,भूतल, सुधाकर कॉम्प्लेक्स, बाणा मोड़, चौमू, जिला जयपुर (राज.) में स्थित है एवं जिसका क्षेत्रफल 153.12(17'-6"x8'-9")वर्गफिट है। जिसकी सीमायें निम्न प्रकार हैं:- पूर्व में:दुकान नं. जी-21,पश्चिम में: दुकान नं. जी- 19,उत्तर में:गली, दक्षिण में:अन्य सम्पत्ति
2. साम्यिक बंधक सम्पत्ति श्री शीतल शर्मा पुत्र श्री [illegible] शर्मा के नाम एक दुकान नं. एस-04,द्वितीय तल, सुधाकर कॉम्प्लेक्स, बाणा मोड़, चौमू, जिला जयपुर(राज.)में स्थित है एवं जिसका क्षेत्रफल 157.50(18"x8'-9")वर्गफिट है। जिसकी सीमायें निम्न प्रकार हैं:-

पूर्व में:दुकान नं. एस-3 पश्चिम में: दुकान नं. एस-3 उत्तर में:अन्य सम्पत्ति दक्षिण में:गली

दिनांक: 06.11.2024 स्थान :जयपुर (राज.) प्राधिकृत अधिकारी (भारतीय स्टेट बैंक)

इंडियन ओवरसीज बैंक
[illegible] शाखा – [illegible], सेक्टर 21-डी, फरीदाबाद-[illegible]
ई-मेल: [illegible]

दिनांक: 30.09.2024

कर्जदारों/बंधककर्ताओं/गारंटरों को बिक्री-पूर्व नोटिस
सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के तहत जारी

सेवा में,

(1) मैसर्स [illegible] इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, ए-3बी, यूपीएसआईडीसी, कोटवान औद्योगिक क्षेत्र, कोसी कलां, जिला मथुरा (उ.प्र.) (कर्जदार) (2) श्रीमती [illegible] अरोड़ा (निदेशक/गारंटर) हाउस नंबर 201, सेक्टर 16-ए, फरीदाबाद, हरियाणा (3) श्री [illegible] गोयल (निदेशक/गारंटर), हाउस नंबर 794, सेक्टर 28, फरीदाबाद, हरियाणा (4) मैसर्स नैनी एक्सपोर्टर (इसके मालिक श्री कुशल मोहन अरोड़ा के माध्यम से), प्लॉट नंबर 43, सेक्टर 27-ए, फरीदाबाद, हरियाणा (5) श्री कुशल मोहन अरोड़ा (निदेशक/गारंटर) हाउस नंबर 201, सेक्टर 16-ए, फरीदाबाद, हरियाणा। दूसरा पता:- श्री कुशल मोहन अरोड़ा, हाउस नंबर 551, चौथी मंजिल, सेक्टर 21-सी, फरीदाबाद, हरियाणा।

महोदय/महोदया,

(1) यह सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत आपके खिलाफ शुरू की गई वसूली कार्रवाई का संदर्भ है।

(2) कृपया नीचे दी गई अनुसूची में अधिक विस्तृत रूप से वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के संबंध में आपको जारी किए गए दिनांक 13.08.2024 के कब्जा सूचना और वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत प्रतिभूत ऋणदाता के रूप में बैंक को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में प्रतिभूत परिसंपत्तियों की वसूली के उद्देश्य से दिनांक 17.08.2024 को दो प्रमुख समाचार पत्रों में उक्त कब्जा नोटिस के प्रकाशन का संदर्भ लें।

(3) आप, उपर्युक्त कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर, दिनांक 30.04.2024 के मांग सूचना और दिनांक 13.08.2024 के कब्जा सूचना के जारी होने के बाद शून्य राशि के भुगतान को छोड़कर बकाया राशि का पूरा भुगतान करने में विफल रहे हैं। इसलिए नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित प्रतिभूत परिसंपत्तियों को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत **"जैसा है जहां है", "जो है यहीं है", "जो कुछ भी है यहीं है"** तथा **"आश्रय रहित आधार"** पर बेचने का प्रस्ताव है।

(4) कब्जे की तारीख को बैंक को देय राशि 12.08.2024 तक रु. 20,14,34,271/- (रुपये बीस करोड़ चौदह लाख चौंतीस हजार दो सौ इकहत्तर मात्र) बताई गई थी, जिसमें अनुबंध दरों पर ब्याज और शेष राशि के अलावा पूर्ण पुनर्भुगतान की तारीख तक होने वाले खर्च/प्रभार का भुगतान किया जाना है।

(5) हम आपको सरफेसी अधिनियम के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के तहत 30 दिनों का नोटिस देते हैं कि आप 15.08.2024 तक कुल बकाया राशि रु. 20,16,81,132/- (रुपये बीस करोड़ सोलह लाख इक्यासी हजार एक सौ बत्तीस मात्र), साथ ही भुगतान की तारीख तक ब्याज और लागत का भुगतान करें। हम आपका ध्यान सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (8) की ओर आकर्षित करते हैं, जिसमें अनुसूचित संपत्तियों को विमोचित करने के लिए आपके पास उपलब्ध समय शामिल है।

(6) यदि आप बैंक को बकाया राशि का भुगतान करके संपत्तियों को विमोचित करने में विफल रहते हैं, तो इस नोटिस की तारीख से 30 दिनों की अवधि बीतने के बाद किसी भी दिन सरफेसी अधिनियम के प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के उचित प्रावधानों के तहत बकाया राशि वसूलने के लिए इसे बिक्री के लिए रखा जाएगा। बिक्री की तारीख, आरक्षित मूल्य और बिक्री के अन्य विवरण प्रदान करने वाली उक्त बिक्री सूचना अलग से दी जाएगी।

संपत्तियों की अनुसूची

प्लॉट नंबर 43, सेक्टर 27-ए, फरीदाबाद हरियाणा में औद्योगिक प्लॉट और बिल्डिंग, मेसर्स नैनी एक्सपोर्टर के नाम पर (इसके मालिक कुशल मोहन अरोड़ा के माध्यम से बंधक) 2150 वर्ग गज, बिक्री विलेख संख्या 5268 दिनांक 05.08.2004।" सीमाएं निम्नानुसार हैं– उत्तर: सड़क से; दक्षिण: सरकारी भूमि और बाइपास फ्लाईओवर से; पूर्व: प्लॉट नंबर 44, सेक्टर 27-ए, फरीदाबाद से; पश्चिम: प्लॉट नंबर 42, सेक्टर 27-ए, फरीदाबाद से।

मूल्यांकन के अनुसार – सड़क पर भौतिक क्षेत्र –2100 वर्ग गज।

(सांकेतिक कब्जे में)।

"उपर्युक्त प्रतिभूति (प्लॉट नंबर 43, सेक्टर 27-ए, फरीदाबाद हरियाणा में औद्योगिक प्लॉट और बिल्डिंग, मेसर्स नैनी एक्सपोर्टर के नाम पर (इसके मालिक कुशल मोहन अरोड़ा के माध्यम से बंधक) 2150 वर्ग गज की माप। बिक्री विलेख संख्या 5268 दिनांक 05.08.2004) भी हमारे सेक्टर 12, फरीदाबाद शाखा के साथ मेसर्स नैनी एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के ऋण खाते में बंधक है, जो बकाया है और आज की तारीख में निष्पादन कर रहा है, साथ में 31.07.2024 को रु. 4,93,57,877.67 (रुपये चार करोड़ तिरानवे लाख सत्तावन हजार आठ सौ सतहत्तर और पैसे सड़सठ मात्र) यथाप्रयोज्य अतिरिक्त ब्याज के साथ बकाया है।

सीसी:- मेसर्स नैनी एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (इंडियन ओवरसीज बैंक, सेक्टर 12, फरीदाबाद शाखा में ऋण खाता) प्लॉट नंबर 43, सेक्टर 27-ए, फरीदाबाद, हरियाणा।

प्राधिकृत अधिकारी

दि हाई-टेक गियर्स लिमिटेड
CIN: L29130HR1986PLC081555
पंजी. कार्यालय : प्लॉट नंबर 24,25,26, आईएमटी मानेसर, सेक्टर-7, गुरुग्राम-122050, हरियाणा
कार्पो. कार्यालय : मिलेनियम प्लाज़ा, टावर-बी, सुशान्त लोक-I, सेक्टर-27, गुरुग्राम -122002, हरियाणा
फोन : + 91(124) 4715100 Fax: + 91(124) 2806085
वेबसाइट : www.thehitechgears.com, ई-मेल : secretarial@thehitechgears.com

30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध-वर्ष हेतु अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

(रू. मिलियन में, सिवाय प्रति शेयर डेटा)

क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त	तिमाही समाप्त	अर्द्ध वर्ष समाप्त	अर्द्ध वर्ष समाप्त
		30/09/2024 (अनंकेक्षित)	30/09/2023 (अनंकेक्षित)	30/09/2024 (अनंकेक्षित)	30/09/2023 (अनंकेक्षित)
1.	परिचालन से कुल आय	2,483.03	2,849.25	5,113.42	5,515.16
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले)	154.44	75.45	367.56	198.38
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर से पहले (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	154.44	847.05	367.56	969.98
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	95.42	722.16	237.79	815.15
5.	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) शामिल है)]	108.20	734.18	227.27	845.94
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	187.78	187.68	187.78	187.68
7.	संचेय/अन्य इक्विटी जैसाकि पिछले वर्ष के तुलनपत्र में दर्शाया गया है	-	-	-	-
8.	प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/- प्रत्येक का) (जारी तथा बंद प्रचालनों हेतु) – (वार्षिककृत नहीं)				
	(क) मूल (रू. में) :	5.09	38.48	12.67	43.43
	(ख) तनुकृत (रू. में) :	5.07	38.38	12.64	43.33

नोट्स :-

1) उक्त अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणाम अंकेक्षण समिति द्वारा नवम्बर 08, 2024 को आयोजित उसकी बैठक में पुनरीक्षित किए गए हैं और तदुपरांत कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा नवम्बर 08, 2024 को सम्पन्न उसकी बैठक में अनुमोदित किए गए हैं। कम्पनी के सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा सीमित पुनरीक्षण किया गया है।
2) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जेज में दाखिल किए गए सितम्बर 30, 2024 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध–वर्ष हेतु समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश रूप है।
3) सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमावली, 2015 के विनियम 47(1)(ख) के अनुसरण में, कम्पनी के मुख्य पृथक्कृत वित्तीय विवरण के विषय में अतिरिक्त जानकारी नीचे दी गई है :

(रू. मिलियन में)

विवरण	तिमाही समाप्त	तिमाही समाप्त	अर्द्ध वर्ष समाप्त	अर्द्ध वर्ष समाप्त
	30/09/2024 (अनंकेक्षित)	30/09/2023 (अनंकेक्षित)	30/09/2024 (अनंकेक्षित)	30/09/2023 (अनंकेक्षित)
परिचालन से आय और अन्य आय	1,747.52	2,042.68	3,565.98	3,872.99
कर पूर्व लाभ	158.57	138.40	346.34	274.30
कर पश्चात लाभ	121.81	100.70	265.47	203.76

4) सितम्बर 30, 2024 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्जेज की वेबसाइट (www.nseindia.com और www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.thehitechgears.com) पर उपलब्ध है।

कृते एवं हिते निदेशक मंडल
दि हाई-टेक गियर्स लिमिटेड
हस्ता./-
दीप कपूरिया
कार्यकारी अध्यक्ष
(DIN: 00006185)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : नवम्बर 08, 2024